



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 29.08.2021

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन खरीदने/बेचने वाले गिरोह का 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 15.03.2021 को वादी श्री दिलबाग पुत्र सुरत सिंह निवासी पट्टी मिलगान गांव मडलाना थाना गोहाना जनपद सोनीपत (हरियाणा) द्वारा जमीन का बैनामा कराने के मामले में गवाह बने व्यक्ति द्वारा खुद के पिता के नाम जमीन क्रय करने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में विवेक द्वारा विवेचनात्मक जांच में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पाये गये थे। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना कैराना पुलिस निरन्तर प्रयासरत थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.08.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन खरीदने/बेचने वाले गिरोह के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- कुलदीप पुत्र हुकमा उर्फ हुकमचन्द निवासी ग्राम बापौली जनपद पानीपत (हरियाणा)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3- का0 नीरज थाना कैराना जनपद शामली।

